ग्राम पंचायत गसोता , विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 177001 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत गसोता में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्री सुरेंदर कुमार	22.01.2011 to 22.01.16
2	श्रीमति सुदर्शना कुमारी	23/01/2016 से 31.3.18

सचिव:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्री अशोक कुमार	07.02.2009 से 07.05.2018
2	श्री वनीत कुमार	07.05.2018 से 31.3.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹)

(लाखों में)

1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	18.82
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.16
3	10(4)	नियम प्रावधानों के विपरीत नगद हस्तगत शेष ₹1000 से अधिक रखना	----
4	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	0.53
5	13	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना।	0.20
6	15	सरिया खरीद में अनियमितता	1.91

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04 -08-2018 से 08-08-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	05/2015	06/2015
2016-17	05/2016	07/2016
2017-18	05/2017	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने

की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से “निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009”को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-39 दिनांक 07/08/2018 के तहत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 409593 दिनांक 10-08-2018 के तहत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 **वितीय स्थितिः -**

ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(i) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिमशेष ₹
2015-16	326626	216284	542910	358850	184060
2016-17	184060	274425	458485	310795	147690
2017-18	147690	169421	317111	172842.5	144268.5

(ii) अनुदान:

ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

(iii) **दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत गसोता के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	623118.49	1321943.00	1945061.49	1233327.90	711733.59
2016-17	711733.59	2985400.00	3697133.59	2247066.36	1450067.23
2017-18	1450067.23	2079978.00	3530045.23	1647762.63	1882282.60

क्रम संख्या	रोकड़ बही	बैंक	खाता संख्या:	राशि ₹
1	KCCB Lambloo	GCB- A	20089006090	142827.50
2	KCCB Lambloo	GCB-B	2007200342201	169788.00
3	KCCB Lambloo	SBM	50052888515	5444.00
4	PNB Lambloo	14th	1721000100037662	1390405.31
5	PNB Lambloo	IAY	1721000102937223	1252.00
6	PNB Lambloo	VKVNY	1721000102956918	191794.72
7	PNB Lambloo	SDP	1721000102937214	98811.42
8	PNB Lambloo	RAY	1721000102959678	20612,00
9	PNB Lambloo	VMJS	1721000102966748	4175.15
कुलराशि				**2025110.10**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रौत: दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष ₹144268.5

अनुदान: दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष ₹1882282.60

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष: ₹ 2026551.10

दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष: **₹2025110.10**

दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि : **₹1441.00**

कुल योग: **₹2026551.10**

अन्तर की राशि: **0**

5.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से उचित ढंग से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत गसोता की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान उचित ढंग से नहीं किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के

नियम **7(3)** व **10(1)** के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान उचित ढंग से न करना नियमों के विरूद्ध है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का नियमानुसार रख-रखाव व बैंक खातों के साथ समुचित ढंग से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹18.82 लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक ₹1882282.6/- उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि “दिनांक 31-03-2018 तक रोकड़ वाहियों के अनुसार शेष अनुदान राशि को शीघ्र ही वर्ष 2018-19 में खर्च कर ली जाएगी।“ अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0 . 16 लाख राशि वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को दुकान किराया व गृहकर के रूप में ₹16,150/- (₹5,500 + ₹10,650) की राशि वसूली हेतु शेष थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रति उत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि "पंचायत राजस्व वर्ष 2018-19 में वसूल कर लिया जायेगा।"अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) दुकान किराया

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2017-18	0.00	20100.00	20100.00	14600.00	5500.00

(ii) गृह कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	5150	19490	24640	8680	15960
2016-17	15960	28770	44730	42550	2180
2017-18	2180	32380	34560	23910	10650

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के

अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रति उतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि "हि० प्र० पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 37 फार्म-11 के अनुसार बजट प्राक्कलन भविष्य में कर लिया जाएगा।" अतः भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10(1) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होगी जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा जिसके प्रतियुतर में सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रति उतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि "हि० प्र० पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना कर ली जाएगी।" अत: तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

10(2) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार भुगतान पहले कर दिये गए थे जबकि रोकड़ बही में प्रविष्टियां बाद में की गई थीं। इस प्रकार रोकड़ वही का रख-रखाव हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7(1), 7(3) व 10(1) के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। जिसके कारण अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रति उतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि "हि० प्र० पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार भविष्य में रोकड़ वही नियमानुसार लिखी जाएगी।"

क्रम	वा० सं० /	रोकड़ वही पेज	संक्षिप्त विवरण	राशि	टिप्पणी

संख्या	दिनांक				
1	04, 05 / 13.06.2016	जीसीबी-बी 44	पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय	3850	बैंक पास बुक के अनुसार इस राशि का भुगतान चैक नं० 558461 दिनांक 05.05.2016 के तहत किया गया था लेकिन रोकड़वही में प्रविष्टि दिनांक 13.06.2016 को की गई थी।
2	62 / 05.03.2018	GCB-A 132	टेलीफोन बिल	2667	भुगतान 26.02.2018 को किया था किन्तु रोकड़ वही में प्रविष्टि दिनांक 05.03.2018 को की गई थी।
3	63, 64 / 05.03.2018	GCB-A 132	पानी बिल	451 793	भुगतान 12.02.2018 को किया था किन्तु रोकड़ वही में प्रविष्टि दिनांक 05.03.2018 को की गई थी।

अत: तुरंत प्रभाव से रोकड़ वही का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10(3) रोकड़ वही खाता "क" की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही पेज 93 के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को हस्तगत नगद शेष ₹772 था जबकि रोकड़ वही पेज 95 पर इसे दिनांक 01.04.2016 को ₹317 लिया गया था। इस प्रकार रोकड़ वही में ₹455 का लेखांकन कम किया गया था, जिसके संदर्भ में वास्तविकता से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि को चूक कर्ता से वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवाने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसी त्रुटि न हो, के लिए रोकड़ वही का रख-रखाव एवं बैंक पास बुक से समय-2 पर समुचित ढंग से नियमानुसार मिलान करना सुनिश्चित करें।

10(4) पंचायत की रोकड़ वही खाता"क" के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा नकद राशि को निर्धारित सीमा ₹1000 से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैl अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाएl

11 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान

पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। और कुछ बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया था। भुगतान आदेश संबंधी नियम के प्रावधानों का पालन न करने के समर्थन में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	कैश बुक पेज	राशि (₹)	विबरण
1	06 & 07 / 13.06.2016	GCB-B 44	3850/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
2	01 / 20.06.2016 02 / 20.06.2016	SDP-23 SDP-23	13168/- 1295/-	भुगतान आदेश केवल प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित था।
3	04 / 24.06.2016	VMJS-24	25330/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
4	01 / 20.06.2015 02 / 20.06.2015	VKVNY-17	32256/- 10730/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
5	35 / 15.06.2015 37 / 23.06.2015 38 / 24.06.2015	GCB-A 79 80 80	500/- 200/- 750/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
6	12/12.06.2015 13/12.06.2015 17/ 16.06.2015 18/ 16.06.2015	13TH FC-92 92 92 92	12800/- 1360/- 12397/- 16230/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ अथवा इन सभी संदायों/भुगतानों की सूची बनाकर इस अनियमितता को सक्षम/उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.53 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹52,670 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे में स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि "खरीदी गई सामग्री

की कुटेशन भविष्य में ले ली जाएगी।" अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. स.	**कैश बुक**	**वाउचर/कैश बुक पेज संख्याः**	**दिनांक/मास**	**सामग्री का विवरण**	**राशि (₹)**
1	13TH FC	18/92	16.06.2015	पेंट सामग्री	16230
2	GCB-A	36/101	09.07.2016	ग्लेज़ शटर, तुनी लकड़ी इत्यादि	19770
3	GCB-A	37/101	09.07.2016	टीक प्लाई बोर्ड इत्यादि	2140
4	GCB-A	73/135	28.03.2018	फोटो फ्रेम इत्यादि	3800
5	VKVNY	02/17	20.06.2015	ग्रिल, हॉल फास्ट	10730
				कुल राशि	₹52670

13 क्रय सामग्री स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:–

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है I अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया थाI अतः निम्नलिखित वर्णित मदों की प्रविष्टि खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए l

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या / दिनांक/ कैश बुक पेज**	**फर्म का नाम/ बिल नं०/ दिनांक**	**क्रय की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण**	**राशि (₹)**
1	02 / 20.06.2016/ 23(एसडीपी)	मै० दलजीत पठानिया बिल नं० 484/ 31.07.2015	पेंट सामग्री, समोशम, तारपीन इत्यादि	1295
2	02 / 20.06.2016/ 17(जीसीबी-बी)	मै० शिवा वैल्डिंग वर्क्स, बिल नं० 383/ 25.03.2015	ग्रिल, हॉल फास्ट	10730

3	35 / 15.06.2015/ 79(जीसीबी-ए)	मै० विजय कुमार बिल नं० 294 / 05.06.2015	व्हील चेयर की व्हील सहित रिपेयर	500
4	37 / 23.06.2015/ 80(जीसीबी-ए)	मै० मयंक कम्प्युटरज़ बिल नं० 198 / 15.06.2015	एक रिम पेपर	200
5	38 / 24.06.2015/ 80(जीसीबी-ए)	मै० मयंक कम्प्युटरज़ बिल नं० 196 / 04.06.2015	वाई-फाई यू एस बी डोंगल NETIS	750
6	41/ 26.07.2016/ 101(GCB-A)	मै०	ASSETS REGISTER 200 PAGE	400
7	65/ 05.03.2018 / 132(GCB-ए)	मै० प्रवीण कम्यूनिकेशन एंड लोक मित्र केंदर बिल नं० 97 / 01.03.2018	A4 पेपर 2 रिम @ 170	340
8	68/ 23.03.2018 / 132	मै० मयंक कम्प्युटरज़ बिल नं० 849 / 17.03.2018	कार्टरेज रिफिल, बॉल पेन, फ़ोटोस्टेट इत्यादि	390
9	72/ 27.03.2018 / 132	मै० विजय हैंडलूम एंड एंटरप्राइसेस इन्वाइस नं० 1133/ 26.03.2018	5 मी० ग्रीन टेबल क्लॉथ @180	900
10	73/ 27.03.2018 / 132	मै० वालिया फोटो फ्रेम बिल नं० 572/ 26.03.2018	12*18 & 1.25" फोटो फ्रेम 8नं० @475.8	3800
			कुल योग	**₹19305**

14 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹300/- की कम वसूली:

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि निम्नविवरणानुसार₹300/- की राशि का विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल नहीं किया गया था जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि को अब नियमानुसार उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत की निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक संख्या	**विवाह पंजीकरण क्रमांक संख्या**	**शादी की दिनांक**	**पंजीकरण की दिनांक**	**पंजीकरण राशि (₹)**	**वसूली गई राशि**	**शेष राशि**
1	43/2016	19/10/16	22/10/16	200	50	150
2	44/2016	10/10/16	26/10/16	200	50	150
कम वसूली गई राशि				**400**	**100**	**300**

15 सरिया खरीद में अनियमितता

अंकेक्षण में जांच के दौरान पाया गया कि संस्था ने मास 07/2016 में खाता"ख" के वाऊचर संख्याः 7 और 10 के द्वारा सरिया खरीदने हेतु मैसर्ज़ विकास ट्रेडिंग कंपनी को उन के बिल संख्या 3769 दिनांक 24/06/2016 के लिए ₹190980 का भुगतान किया गया था। इस में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

1. अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा इस प्रकरण में यह व्यय संविदा या रेट- कॉन्ट्रैक्ट के बिना किया गया था। इस प्रकार संस्था ने बाजार की प्रतिस्पर्धा की दर का लाभ नहीं उठाया गया जिस का औचित्य स्पष्ट करें तथा अब इस व्यय को एक ही संविदा के आधार पर किया गया व्यय मान कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर के नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

2. संस्था द्वारा खरीदे गए किसी भी सामान का भण्डार इन्द्रराज नहीं किया गया था तथा न ही इस सामग्री का प्रयोग का विवरण अंकेक्षण में दिखाया गया जो कि आपतिजनक है जिस का औचित्य स्पष्ट करें तथा अब अपेक्षित कार्रवाही कर के अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

3. मैसर्ज़ विकास ट्रेडिंग कंपनी ने उन के बिल संख्या 3769 दिनांक 24/06/2016 में सरिया के अतिरिक्त ₹1320 की राशि का भुगतान दर्शाया गया जिसका बिल में कोई विवरण नहीं दिया गया था अत: इस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस प्रकरण की जांच कर के अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए या इस राशि को सम्बन्धित से वसूल किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है| परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :40 दिनांक 07-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रतिउतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09-08-2018 को उत्तर दिया गया कि " हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम, 1997 के नियम 34 के अनुसार रजिस्टरों का संधारण कर लिया जायेगा l अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्ररूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	बिजली, पानी व टेलीफोन बिल रजिस्टर		
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
4	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
5	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)		
6	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं		
	का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		ख
7	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (		ग)
8	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी		

आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)

9. अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज

(सामान्य) नियम, 1997 8 34

10. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।

11 गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।

12. बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48

13. मस्ट्रोल निर्गम, स्टॉक रजिस्टरों का अपूर्ण रख-रखाव

14 माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(v)

15 वर्गीकृत सार 8 29 (4)

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्दयमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

21 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

संकर्मों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं सकर्मों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में संकर्मों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं

किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही संकर्मों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

22 **₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -**

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (रेग्युलेशनज़) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में अपनी स्तिथि स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

23 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण(मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)64/2018 खण्ड—1—8011—8014 दिनांक 29.11.18 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत गसोता, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046